झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

शुद्धि–पत्र

प्रथम सीमित उप–समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–05/2005) के संबंध में।

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उप–समाहर्त्ता पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रकाशित **विज्ञापन संख्या–05/2005** में वर्णित परीक्षा में निम्नांकित संशोधन/परिवर्द्धन किए जाते हैः–

1. उक्त विज्ञापन में उल्लेखित ''नियुक्ति हेतु आयोग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा जो **विषयनिष्ठ** होगा'' के स्थान पर ''सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम–पत्र **वस्तुनिष्ठ (Objective) बहुविकल्पीय** होगा तथा द्वितीय–पत्र **विषयनिष्ठ (Subjective)** होगा'' प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. उक्त विज्ञापन में द्वितीय–पत्र के भाग – 4 में उल्लेखित ''बिहार/झारखण्ड सचिवालय अनुदेश'' के स्थान पर ''सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली'' प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. उक्त विज्ञापन में द्वितीय पत्र के भाग–9 में उल्लेखित ''बिहार/झारखण्ड असैनिक सेवा नियमावली'' के स्थान पर ''झारखण्ड असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली'' प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4182, दिनांक–08.05.2014 के द्वारा पूर्व में अधियाचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल–07 रिक्तियों को पिछड़ा वर्ग–I हेतु 04 पद एवं पिछड़ा वर्ग–II हेतु 03 पद चिन्हित किया गया है।
5. विज्ञापन संख्या–05/2005 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।
6. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची